-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

थाना कोरंधा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
अपराध क्रमांक 03/2026, धारा 103(1), 115(2), 3(5)

गिरफ्तार आरोपी

1. एसडीएम कुसमी श्री करूण डहरिया 02. विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह 3. मंजीत कुमार यादव 4. सुदीप यादव, सभी जिला बलरामपुर-रा0गंज

-: विवरण :-

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.2026 को देर शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम हंसपुर के जगल में हंसपुर के रहने वाले तीन व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई है जिन्हे ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पुलिस द्वारा थाना कोरंधा में मर्ग कमांक-02/2026 कायम कर विवेचना में लिया गया। मर्ग की विवेचना दौरान आहत, गवाहों एवं अन्य मौका साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि, दिनांक 15/02/2026 को एसडीएम कुसमी करूण डहरिया के द्वारा अपने अन्य 03 साथियों के साथ देर शाम अवैध बाक्साइड उत्खनन पर कार्यवाही हेतु ग्राम हंसपुर जंगल के पास पहुंचे थे जहां इनके द्वारा इन तीन व्यक्तियों के साथ अवैध बाक्साईड उत्खनन का आरोप लगाकर इनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण राम उर्फ रामनरेश पिता रेगहा उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम हंसपुर, थाना कोरंधा, जिला बलरामपुर की मृत्यु हो गई है। मामले की प्राथमिक विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार आरोपी 01. एसडीएम कुसमी श्री करूण डहरिया 02. विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह 3. मंजीत कुमार यादव 4. सुदीप यादव, सभी जिला बलरामपुर-रा0गंज के विरूद्ध अपराध क्रमांक 03/2026, धारा 103(1), 115(2), 3(5) बीएनएस दर्ज कर चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।

civilindia.news